

परिपत्र / Circular

प्रति / To,
सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता (ईसीजीसी और एआईसी को छोड़कर)
All General and Health insurers (Except ECGC and AIC)

विषय: स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल हस्ताक्षर समाप्त करने के लिए समय-सीमाएँ बढ़ाना

Sub: Extension of timelines for Dispensing with Physical documents and wet signature on the proposal form in respect of health insurance policies

1. परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/235/09/2020 दिनांक 10.09.2020, संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/062/03/2021 दिनांक 24.03.2021 और संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/ 248/09/2021 दिनांक 14.09.2021 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य पालिसियाँ जारी करने के लिए और सभी स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में प्रस्ताव फार्मों पर तरल हस्ताक्षर समाप्त करने के लिए 31.3.2022 तक बीमाकर्ताओं को अनुमति देते हुए (क) इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों के निर्गम और (ख) भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्मों पर तरल हस्ताक्षर समाप्त करते हुए जारी किये गये थे।

Reference is drawn to the circulars Ref. No: IRDAI/HLT/REG/CIR/235/09/2020 dated 10.9.2020, Ref. No. IRDAI/HLT/REG/CIR/062/03/2021 dated 24.3.2021 and Ref. No. IRDAI/HLT/REG/CIR/248/09/2021 dated 14.9.2021 issued on (a) Issuance of electronic policies and (b) dispensing with physical and wet signatures on the proposal form in respect of health insurance policies permitting insurers to issue electronic health insurance policies and dispensing of wet signatures on proposal forms in respect of all health insurance policies up to 31.3.2022.

2. अब प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर और तरल हस्ताक्षर समाप्त करने की सुविधा का विस्तार छह (6) महीने की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 30.9.2022 तक की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

It has now been decided by the Authority to extend the facilitation of dispensing with physical signatures and wet signature on proposal forms in respect of health insurance policies for a further period of SIX (6) months i.e up to the period 30.9.2022.

3. इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि भौतिक रूप में पालिसी दस्तावेजों के निर्गम से आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016 के विनियम 4(iii) के परंतुक के अंतर्गत बीमाकर्ताओं को प्रदत्त छूट की सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया गया है।

Further, it is clarified that the facilitation exempting insurers from issuance of policy documents in physical form, granted under proviso to Regulation 4 (iii) of IRDAI (Issuance of e-insurance policies) Regulations, 2016, is no longer extended.

4. उपर्युक्त परिपत्र में निहित सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
All other contents of the above circular remain unaltered.

हस्ता./- / Sd/-

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / GENERAL MANAGER (H)

प्रति,

सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता (ईसीजीसी और एआईसी को छोड़कर)

विषय: स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल हस्ताक्षर समाप्त करने कि लिए समय-सीमाएँ बढ़ाना

1. परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/235/09/2020 दिनांक 10.09.2020, संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/062/03/2021 दिनांक 24.03.2021 और संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/248/09/2021 दिनांक 14.09.2021 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य पालिसियाँ जारी करने के लिए और सभी स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में प्रस्ताव फार्मों पर तरल हस्ताक्षर समाप्त करने के लिए 31.3.2022 तक बीमाकर्ताओं को अनुमति देते हुए (क) इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों के निर्गम और (ख) भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्मों पर तरल हस्ताक्षर समाप्त करते हुए जारी किये गये थे।
2. अब प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर और तरल हस्ताक्षर समाप्त करने की सुविधा का विस्तार छह (6) महीने की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 30.9.2022 तक की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
3. इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि भौतिक रूप में पालिसी दस्तावेजों के निर्गम से आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016 के विनियम 4(iii) के परंतुक के अंतर्गत बीमाकर्ताओं को प्रदत्त छूट की सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया गया है।
4. उपर्युक्त परिपत्र में निहित सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

हस्ता./-

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)